मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- ट्रेन यात्रा और बाघा बार्डर का अनुभव — 3
- ईएसआई मैडिकल कालेज एम.सी.आई. के मानकों पर खरा नहीं उतरा
- जनतंत्र में पुलिस की भूमिका — 5
- मोदी जी का कार्पोरेट प्रेम
- मीडिया माफियाओं से कानूनी जंग लड़ते श्रमजीवी पत्रकार मुकाबले में है तुर्मखां वकील — 6
- मोगा बस हत्या काण्ड : पंजाब में बादलों से बरसती गुण्डई — 8

वर्ष 28 अंक 14 फरीदाबाद, शनिवार, 16-31 मई 2015 फोन : - 9999595632 2 ₹

प्रचंड बहुमत आते ही बदले बोल

दिल्ली शासन के लोकायुक्त और स्वराज विधेयक पहले केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के लिये भेजे जायेंगे। उसके बाद ही दिल्ली विधान सभा में पेश होंगे
- दिल्ली की जनता से केजरीवाल ने कहा

महिला सुरक्षा तो क्या करेगी 'आप', अपनी इज्जत के पड़े लाले

द्रोपदी चीर-हरण में जुटे मियां,मीडिया महिला आयोग

कुमार विश्वास प्रकरण को मीडिया ने इस तरह उछाला जैसे नेपाल भूकम्प की टक्कर का राजनीतिक भूकम्प आ गया हो। सम्बन्धित महिला के पति ने स्वयं ही पत्नी के चीर-हरण का जो सिलसिला शुरु किया, वह मीडिया एंकरों के शोरो-गुल से होता हुआ महिला आयोग के दफ़्तर में एक प्रहसन बन कर रह गया। सारा मामला पति द्वारा पत्नी के प्रति घरेलू हिंसा (भावनात्मक अत्याचार) का बनता है, जिस आग में घी देने का काम मीडिया और महिला आयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ़ केजरीवाल सरकार जो दिल्ली में महिला सुरक्षा के बढ-चढ कर दावे करती रही है, को कुमार विश्वास की छिछोरी हरकतों के चलते अपनी साख बचानी भारी पड़ रही है।

मज़दूर मोर्चा, दिल्ली ब्यूरो

जानकार कहते हैं यह तो अभी शुरूआत है। कुछ दिन पहले 'आप' से निकाले गये वरिष्ठ नेताओं में से एक प्रो.आनन्द कुमार ने टिप्पणी की थी कि बात निकलेगी तो दूर तलक जायेगी....बेड रूम तक भी जायेगी। यह भी कयास था कि बेड रूम की कहानियों के खलनायक केजरीवाल के करीबी कुमार विश्वास भी होंगे। स्त्रियों को लेकर छिछोरी कविताओं से मंच लूटने वाले विश्वास को जानने वालों का कहना है कि उनके दामन में ऐसे कितने ही दाग़ मिल जायेंगे। बस देखने दिखाने की देर है।

इस पृष्ठभूमि में जब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का चरित्र प्रमाणपत्र सार्वजनिक रूप से कुमार विश्वास से मांगना शुरू किया तो कम ही लोगों को आश्चर्य हुआ। विश्वास दो दिन तक तो बचते-छिपते रहे और फ़िर घुमा-फ़िरा कर अपनी सफ़ाइयां देते रहे। इस बीच मीडिया के लिये यह खबर जंगल की आग सिद्ध हुई तो विश्वास ने मीडिया को भी जम कर बुरा-भला कहा। दिल्ली महिला आयोग की कांग्रेसी अध्यक्ष बरखा सिंह ने आनन-फ़ानन में विश्वास को तलबी का नोटिस जारी कर दिया जिसके ख़िलाफ़ विश्वास दिल्ली हाईकोर्ट में चले गये स्वयं वे अमेरिका उड़ गये।

'आप' पार्टी की गति सांप-छछूंदर वाली हो रही है। न वे कुमार विश्वास को छोड़ सकते हैं न ही इस प्रकरण से अपना पल्ला झाड़ सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी फ़िलहाल मौन रहेगी। सवाल है कि क्या मौन रहने से पिंड छूट जायेगा? सरकार के तीन महीने पूरे हो चुके हैं और महिला सुरक्षा को लेकर उसके तमाम दावे मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही सिद्ध हुए हैं। हर सांस में दिल्ली पुलिस को कोसने का उनका पुराना तौर तरीका अब किसी के गले नहीं उतर रहा।

चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने असुरक्षित स्थानों को प्रकाश व कैमरे से सुरक्षित करने की स्कीम पेश की थी। उस पर चुप्पी है। इसी प्रकार बसों व अन्य सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में मार्शल की निगरानी जैसी बातें भी हवा में ही चल रही हैं। स्वयं दिल्ली शासन के दफ़्तरों में कोई ऐसी पहल नहीं की गयी है जिससे कार्यस्थल पर हिंसा की रोकथाम हो सके। कुमार विश्वास से पहले सोमनाथ भारती का मामला भी लम्बित है जिसमें अफ़्रीकी महिलाओं के यौन उत्पीड़न और अवांछनीय बर्ताव के गंभीर आरोप हैं। यानी न तो सरकार आश्वस्त करने वाले ज़मीनी उपाय ला पा रही है और न ही अपनी साफ़ नीयति को प्रदर्शित करने में सफ़ल हो रही है। लगता है महिला सुरक्षा के मुद्दे पर यह सरकार आरोपों व सफ़ाइयों की सरकार ही सिद्ध होगी।

कुमार विश्वास प्रकरण में किस क़ानून का उल्लंघन हुआ है? फ़िलहाल केवल एक क़ानून ही बताया जा सकता है और वह है घरेलू हिंसा अधिनियम। प्रमुख दोषी बनना चाहिये महिला के पति को जो पत्नी का भावानात्मक शोषण कर रहा है। तमाम मीडिया हाउस सह-अभियुक्त हैं। कायदे से दिल्ली महिला आयोग को इन सभी को भी तलब कर इनकी खाट खड़ी करनी चाहिये थी। पर आयोग भी सारे मामले में राजनीति ही करता रहा। कुमार विश्वास की असली समस्या यह प्रकरण नहीं है। उनकी असली समस्या है उनकी अपनी 'ख्याति', जो केजरीवाल एंड कम्पनी के लिये भी परेशानियां पैदा करती रहेगी।

ख़बर दार

अच्छे दिन आयेंगे.....किसके ?

प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक साल बिताने वाले नरेन्द्र मोदी को एकतरफ़ा 'मन की बात' करने का बहुत शौक है। कहते हैं इस वर्षगांठ पर वे शायद मीडिया से मुखातिब भी हों। बहरहाल 'मज़दूर मोर्चा' ने उनके तरह-तरह के दावों को उनके मुंह से जांचने परखने के लिये यह काल्पनिक साक्षात्कार लिया। इसमें मोदी जी साफ़ छिपा गये कि 'अच्छे दिन' एक चुनावी जुमला है या कोई हकीकत । पाठक ही तय करें कि जुमला किसके लिये और हकीकत किसके लिये!

म.मो.-मोदी जी आपकी सरकार भी वही कुछ कर रही है जो आप से पहले की कांग्रेसी सरकार किया करती थी। फ़िर आप में और मनमोहन सिंह में क्या फ़र्क है?

मोदी-वाह भई कमाल है। आपको दिखता नहीं। सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि मेरा सीना 56 इन्च का है। और दूसरा फ़र्क यह है कि मैंने जितने जुमले रट रखे हैं उतने मनमोहन दस बार प्रधानमंत्री बन कर भी नहीं बोल सकता।

म.मो-कोई फ़र्क गिनाना भूल तो नहीं गये?

मोदी- हां एक फ़र्क और है। मेरी सरकार में सिर्फ़ मैं अकेला ही काम करता दिखता हूं। मनमोहन सरकार में हर मन्त्री अलग-अलग जुगाली करने को स्वतंत्र था?

म.मो.-तभी शायद नेपाल में बजाय विदेश मन्त्री, गृह मन्त्री, रक्षा मन्त्री के नाम की चर्चा होने के बजाय केवल प्रधानमंत्री मोदी का नाम ही चल रहा था?

मोदी-सही कहा। भूकम्प आते ही मेरे ऑफ़िस ने इन तमाम मन्त्रियों के मुंह बन्द किये और यह सुनिश्चित किया कि सेना, वायु सेना, एन डी आर एफ, चिकित्सा उपकरण व दवायें, खाद्यान्न, टेन्ट, यहां तक कि माचिस और साबुन भी मेरे नाम की मुहर के साथ ही नेपाल पहुंचे। वैसे भी हमने मीडिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया हुआ है कि राहत पहुंचे न पहुंचे मेरा नाम अवश्य पहुंचना चाहिये। तभी

शेष पेज दो पर

सल्लू का बेल-बेल खेल

क्या आप जानना चाहेंगे कि बालीवुड के चहेते गायक अभिजीत के 'फुटपाथ पर कुत्ते सोते हैं और कुत्ते की मौत मरते हैं' वाले बयान पर कोई दंडनीय कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भारत के आपराधिक कानूनों में ग़रीबी के अपमान और गरीब की वंचना पर कोई रोक नहीं है। भारतीय संविधान भी जाति, धर्म, लिंग, भाषा जैसे आधारों पर भेदभाव का निषेध करता है पर आर्थिक आधार पर नहीं।

यही कारण है कि सल्लू मियां सज़ा सुनाये जाने के बाद बेल-बेल का खेल आसानी से खेल गये। तेरह साल चले ट्रायल के बाद जब ज़िला अदालत ने सल्लू को दोषी करार दिया तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उसी दिन सज़ा नहीं सुनाई जा सकती थी। यदि जज ने सज़ा सुनाने के लिये 2-3 दिन बाद का समय निश्चित किया होता तो सल्लू मियां को तब तक के लिये जेल जाना ही पड़ता। लिहाज़ा उसी दिन सज़ा सुना कर उसे जेल जाने से बचा लिया गया।

आज के तकनीकी जमाने में इतनी बड़ी अदालत के लिये फ़ैसले की नकल देना क्या मुश्किल था? अन्ततः इसी आधार पर हाईकोर्ट में सरकारी पक्ष ने सल्लू की बेल का विरोध नहीं किया कि फ़ैसले की नकल न मिलने पर बचाव पक्ष अपील कैसे करे, जमानत के लिये गुहार कैसे लगाये? सवाल यह है कि औरों को यानी ग़रीबों को फ़ैसले की नकल न मिलने के आधार पर बेल क्यों नहीं दी जाती? जवाब सभी को पता है। क्योंकि उनके पास हरीश साल्वे जैसे करोड़ों की फ़ीस वाले वकील खड़े करने की हैसियत नहीं होती।

तमाम खरीदे हुए मीडिया हाउस और बहुत से बिके हुए एन जी ओ शोर मचा रहे हैं कि वारदात के समय कार में मौजूद सलमान खान के मित्र ब्रिटिश नागरिक कमाल खान की गवाही न करा कर पुलिस ने केस को कमज़ोर किया है। सवाल यह है कि जब सल्लू मियां व उसके अब्बाजान (सलीम खान) ड्राइवर अशोक के रूप में एक झूठा गवाह खड़ा कर सकते हैं तो उन्हें अपने दोस्त कमाल खान से झूठी गवाही दिलाने से कैसे रोका जायेगा?

यानी अब अभियान यह है कि बेल-बेल के खेल को सल्लू मियां की रिहाई में बदल दिया जाय।